

राजस्थान विधान सभा सचिवालय

: विज्ञप्ति :

जयपुर, दिनांक 12 सितम्बर, 2017

राजस्थान विधान सभा सचिवालय में राजस्थान विधान सभा सचिवालय (भर्ती एवं सेवा की शर्तें) नियम, 1992 के अन्तर्गत निम्नलिखित रिक्त पदों हेतु पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं:-

क्र सं	पदनाम	पे-बैंड तथा ग्रेड पे	निर्धारित शैक्षणिक योग्यता	रिक्त पद
1.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	PB-I 5200-20200 ग्रेड पे- 1700/-	पांचवीं कक्षा उत्तीर्ण	12

रिक्त पदों का विवरण

पद का नाम	पदों की संख्या	अनारक्षित पद	आरक्षित पद				विशेष योग्यजन
			अनुसूचित जाति वर्ग	अनुसूचित जनजाति वर्ग	पिछड़ा वर्ग	विशेष पिछड़ा वर्ग	
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	12	8	-	4	-	-	2


आवेदन शुल्क :

श्रेणी अथवा वर्ग	राशि
सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग तथा विशेष पिछड़ा वर्ग के आवेदकों हेतु	रुपये 150/-
समस्त विशेष योग्यजन तथा राजस्थान के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदकों हेतु	रुपये 100/-

नोट:

- आयु :- दिनांक 01.01.2018 को अभ्यर्थी की आयु 18 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए परन्तु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला/भूतपूर्व सैनिक आदि वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए नियमानुसार छूट होगी। विधवा अथवा तलाकशुदा महिला के लिए आयु सीमा का प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
- आवेदन शुल्क ई-ग्रास (e-GRAS) के माध्यम से ही स्वीकार किया जाएगा। आवेदन शुल्क अप्रतिदेय (Non-Refundable) है।
- आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक 11.10.2017 है। आवेदन उक्त दिनांक को भारतीय समयानुसार रात्रि 12:00 बजे तक ऑनलाइन स्वीकार किये जाएंगे।
- निर्धारित आवेदन पत्र, आवेदन पत्र भरे जाने हेतु निर्देश तथा अन्य आवश्यक जानकारी विधान सभा सचिवालय की वेबसाइट <http://rajassembly.nic.in> पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी आवेदन करने से पूर्व उक्त निर्देशों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर अपनी पात्रता की जांच स्वयं करने के उपरांत ही आवेदन करें।

5. उक्त नियुक्ति प्रक्रिया को बिना कोई कारण बताये किसी भी समय निरस्त करने का अधिकार राजस्थान विधान सभा सचिवालय में निहित है।
6. रिक्तियों की संख्या में आवश्यकतानुसार कमी अथवा वृद्धि की जा सकती है।


मृथ्वी राज
सचिव


राजस्थान विधान सभा सचिवालय

संख्या: एफ. 3 (4) संस्था/विस/2017/ 5104-5128

जयपुर, दिनांक 12 सितम्बर, 2017

प्रतिलिपि निम्नांकित को प्रेषित है:-

1. वरिष्ठ निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक/वैयक्तिक सचिव/निजी सचिव, मा0 उपाध्यक्ष/मा0 सरकारी मुख्य सचेतक/मा0 नेता प्रतिपक्ष/मा0 सरकारी उप मुख्य सचेतक, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
4. निजी सचिव/अतिरिक्त निजी सचिव/निजी सहायक, वरिष्ठ उप सचिव/समस्त उप सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
5. सम्पादक, वाद विवाद/मुद्रण, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
6. मार्शल, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
7. जन सम्पर्क अधिकारी, राजस्थान विधान सभा, जयपुर, वे कृपया उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन समाचार पत्र में कराने की व्यवस्था करायें।
8. मुख्य अन्वेषण एवं संदर्भ अधिकारी, राजस्थान विधान सभा, जयपुर, वे कृपया उक्त विज्ञप्ति को इस सचिवालय की वेबसाइट <http://rajassembly.nic.in> पर अपलोड कराने की व्यवस्था करें।
9. लेखाधिकारी, राजस्थान विधान सभा को दो अतिरिक्त प्रति सहित।
10. सूचना पट्ट, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
11. संबंधित पंजिका।


(ओमप्रकाश सोलंकी)
सहायक सचिव (संस्थापन)

क आवेदन पत्र भरने के संबंध में सामान्य निर्देश :

1. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद के लिए ऑनलाइन आवेदन इस सचिवालय की वेबसाइट <http://rajassembly.nic.in> पर किया जा सकता है।
2. ऑनलाइन आवेदन करते समय स्कैन किया गया नवीनतम फोटो एवं हस्ताक्षर जे.पी.जी. (.JPG) फॉर्मेट में (साइज 5 KB से 50 KB) अपलोड करें।
3. मूल आवेदन पत्र में की गई प्रविष्टि को किसी भी परिस्थिति में बदलने की अनुमति नहीं दी जायेगी। अतः आवेदन पत्र भरते समय ही प्रविष्टियों की जांच कर लेनी चाहिए।
4. आवेदन शुल्क ई-ग्रास (e-GRAS) के माध्यम से स्वीकार किया जाएगा। अन्य किसी भी माध्यम से आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि किसी कारण से परीक्षा निरस्त होती है तो आवेदन शुल्क लौटाया नहीं जाएगा।
5. अभ्यर्थी दिये गये दिशा-निर्देशों एवं अर्हताओं का अध्ययन कर अपनी पात्रता की जाँच स्वयं करने के उपरांत ही आवेदन करें। **नियुक्ति के समय** आयु, शैक्षणिक योग्यता, मूल निवास प्रमाण-पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग संबंधी मूल दस्तावेज तथा इनकी एक सत्यापित प्रति प्रस्तुत करनी होगी। यदि प्रमाण पत्रों की जाँच करने के दौरान अथवा बाद में यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी पात्रता की सभी शर्तें पूरी नहीं करता है तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जावेगी और यदि उसके द्वारा किये गये दावे सही नहीं पाये जाते हैं तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी।
6. आवेदन करने की अंतिम दिनांक 11.10.2017 को आवेदक को आवेदित पद हेतु निर्धारित अर्हता रखना आवश्यक है।

ख. आयु सीमा

आवेदक की आयु दिनांक 01.01.2018 को न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 35 वर्ष होगी।

उच्चतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट होगी:-

क्र.सं.	अभ्यर्थियों का वर्ग	अधिकतम आयु में देय छूट (वर्षों में)
1.	राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के पुरुष	5
2.	राजस्थान की अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग की महिला	10
3.	सामान्य वर्ग की महिला	5
4.	विधवा एवं विछिन्न विवाह (परित्यक्ता) महिला	अधिकतम आयु सीमा नहीं
5.	विशेष योग्यजन सामान्य	10
	पिछड़ा/विशेष पिछड़ा वर्ग	13
	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	15
6.	भूतपूर्व सैनिक	15
7.	वीर चक्र/मिलिट्री क्रॉस या अन्य विशेषता धारक भूतपूर्व सैनिक	17
8.	राजस्थान सरकार के विभागों के स्थाई (Substantive), पंचायत समितियों/जिला परिषदों और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों के स्थाई कर्मचारी	5

नोट : अधिकतम आयु सीमा में छूट के उपरोक्त प्रावधानों में से एक अभ्यर्थी द्वारा किसी एक प्रावधान का ही लाभ लिया जा सकता है अर्थात् किन्हीं दो या अधिक श्रेणियों में वर्णित अधिकतम आयुसीमा में छूट के प्रावधान एक साथ जोड़े नहीं जा सकेंगे।

ग. आयोजित की जाने वाली परीक्षा की योजना

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संवर्ग के पद साक्षात्कार के आधार पर भरे जायेंगे।

नोट :

- कोई भी अभ्यर्थी साक्षात्कार कक्ष/परिसर में मोबाइल फोन, पर्स इत्यादि लेकर नहीं आये। अभ्यर्थी अपने साथ उपयोग के लिए आवश्यक जैसे पेन, पेंसिल, प्रवेश-पत्र या राजस्थान विधान सभा सचिवालय द्वारा अनुमत्य सामग्री ही कक्ष में ले जा सकता है। यदि अभ्यर्थी साक्षात्कार कक्ष/परिसर में मोबाइल या अन्य अनावश्यक वस्तुएं साथ लाता है तो उन्हें जब्त किया जा सकता है तथा उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी राजस्थान विधान सभा सचिवालय की नहीं होगी।

घ. आवेदन शुल्क :

श्रेणी अथवा वर्ग	राशि
सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग तथा विशेष पिछड़ा वर्ग के आवेदकों हेतु	रुपये 150/-
समस्त विशेष योग्यजन तथा राजस्थान के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदकों हेतु	रुपये 100/-

च. अन्य सामान्य निर्देश :

- साक्षात्कार की दिनांक तथा स्थान शीघ्र ही घोषित कर तत्संबंधी सूचना इस सचिवालय की वेबसाइट <http://rajassembly.nic.in> पर उपलब्ध करा दी जाएगी।
- साक्षात्कार से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन करते समय उपलब्ध कराए गये मोबाइल नं. पर SMS द्वारा भी दी जायेगी, अतः अभ्यर्थी द्वारा स्वयं का सही मोबाइल नम्बर उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है।
- अनुमति पत्र इस सचिवालय की वेबसाइट पर अपलोड कर समाचार-पत्रों में सूचना प्रकाशित की जायेगी। वेबसाइट से ही अभ्यर्थी को अनुमति पत्र स्वयं डाउनलोड कर उसकी प्रिन्ट कॉपी साक्षात्कार के समय अपने साथ लानी होगी तथा एक पहचान पत्र भी साथ लाना होगा।
- अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में स्वयं के व्यय पर उपस्थित होना होगा तथा इस हेतु यात्रा व्यय या अन्य कोई भत्ता राजस्थान विधान सभा सचिवालय द्वारा देय नहीं होगा।
- अस्वीकार किए गए आवेदनों के संदर्भ में न तो कोई सूचना दी जाएगी और न ही किसी पत्राचार का कोई प्रत्युत्तर दिया जायेगा।

6. नियुक्ति के लिए राजनैतिक तथा/अथवा अन्य किसी भी प्रकार के प्रभाव का उपयोग करने और अनुचित तरीके अपनाने वाले अभ्यर्थी, अयोग्य माने जायेंगे।
7. उक्त नियुक्ति प्रक्रिया को बिना कोई कारण बताये किसी भी समय निरस्त करने का अधिकार राजस्थान विधान सभा सचिवालय में निहित है।
8. रिक्तियों की संख्या में आवश्यकतानुसार कमी अथवा वृद्धि की जा सकती है।
9. समस्त पत्र व्यवहार सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर के पदनाम से संबोधित किया जाये।
10. किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/स्पष्टीकरण हेतु राजस्थान विधान सभा सचिवालय की संस्थापन शाखा (कक्ष संख्या 217) में व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष संख्या 2744301-20 EXT. 216 या 217 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

ज. नियुक्ति की शर्तें :

1. उपरोक्त पद पर पात्र पाये जाने के पश्चात नियुक्त कार्मिक को वित्त विभाग के आदेश क्रमांक प.1(2)एफ.डी./रूल्स/2006 दिनांक 13/3/2006, एफ.12(6)एफ.डी./रूल्स//05 दिनांक 13/3/2006, एफ.16(2) एफ.डी./रूल्स/98 दिनांक 13/3/2006, एफ.13(1) एफ.डी./रूल्स/2003 दिनांक 13/3/2006 एफ.6(6) एफ.डी./रूल्स/2005 दिनांक 13/3/2006 एफ.16(5) एफ.डी./रूल्स/98 दिनांक 13/3/2006 के अनुसार 2 वर्ष तक प्रोबेशनर ट्रेनी (परीवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के रूप में नियुक्त किया जायेगा एवं उक्त नियमों के अध्याधीन समेकित वेतन (fix pay) देय होगा।
2. चयनित अभ्यर्थियों पर राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या एफ.13(1) एफ.डी./रूल्स/03 दिनांक 28/01/2004 एवं 17/3/2004 के तहत अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये अन्य आदेशों के अध्याधीन सेवा लाभ प्राप्त होंगे।
3. ऐसे चयनित अभ्यर्थी जिनका विवाह दिनांक 22 मई, 2006 अथवा उसके पश्चात् सम्पन्न हुआ है, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की प्रमाणित प्रति तथा उपरोक्त दिनांक के पूर्व विवाहित तथा अविवाहित चयनित अभ्यर्थी निर्धारित प्ररूप में शपथ पत्र कार्यभार संभालने से पूर्व प्रस्तुत करेंगे।
4. चयनित अभ्यर्थियों को राजस्थान विधान सभा सचिवालय द्वारा चयन के संबंध में सूचित किये जाने के पश्चात् उनके द्वारा पुलिस सत्यापन तथा स्वास्थ्य जांच अपने स्तर पर करवाकर प्रस्तुत करनी होगी।

झ. नियुक्ति के लिए अयोग्यता :

1. किसी भी ऐसे पुरुष/महिला अभ्यर्थी को जिसके एक से अधिक जीवित पत्नी/पति हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। किसी अभ्यर्थी को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है, यदि राजस्थान विधान सभा सचिवालय संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है।
2. किसी भी ऐसी महिला अभ्यर्थी को जिसने उस पुरुष से विवाह किया है, जिसके पहले जीवित पत्नी है, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जायेगा। किसी महिला अभ्यर्थी को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है, यदि राजस्थान विधान सभा सचिवालय संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है।
3. किसी भी विवाहित पुरुष/महिला अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जायेगा यदि उसने अपने विवाह के समय दहेज स्वीकार किया होगा।

स्पष्टीकरण- इस नियम के प्रयोजन हेतु दहेज से वही तात्पर्य होगा जो दहेज प्रतिषेध एक्ट, 1961 (सैंट्रल एक्ट, 28 ऑफ 1961) में है। नियुक्ति के समय अभ्यर्थी द्वारा इस संबंध में शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

5. राजस्थान लोक सेवा आयोग/राज्य सरकार के किसी भी विभाग द्वारा किसी भी परीक्षा में वंचित किये गये ऐसे आवेदक जिनके वंचित होने की अवधि आवेदन पत्र प्राप्ति के अन्तिम दिनांक तक समाप्त नहीं हुई है, इस परीक्षा हेतु आवेदन नहीं कर सकेंगे।
6. कोई भी ऐसा अभ्यर्थी जिसके दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतान हों, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। इस आशय का शपथ-पत्र नियुक्ति के समय चयनित अभ्यर्थी को राजस्थान विधान सभा सचिवालय को प्रस्तुत करना होगा। परन्तु दो से अधिक बच्चों वाले किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए तब तक निरहित नहीं समझा जाएगा, जब तक कि दिनांक 01.06.2002 को विद्यमान उसके संतानों की संख्या में वृद्धि नहीं होती है।
7. परन्तु यह और कि जहां किसी भी अभ्यर्थी के पूर्वतर प्रसव से केवल एक संतान है किन्तु किसी एक पश्चातवर्ती प्रसव से एक से अधिक संतान उत्पन्न हो वहां संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुई संतानों को एक इकाई समझा जायेगा।

पृथ्वी राज
सचिव